कार्यालयः– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी (म0प्र0)

: : वाहन नीलामी हेतु विज्ञप्ति : :

सर्व साधारण को इस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि कुटुम्ब न्यायालय डिण्डोरी के आधिपत्य के अनुपयोगी शासकीय वाहन कमांक एम0पी0 02 एचसी0 0016 होण्डा सिटी को (जहां है, जैसी स्थिति में हैं) को निष्प्रयोजित राशि रूपये 1,80,000/– (अक्षरीः– एक लाख अस्सी हजार रूपये मात्र) में दिनांक 31.01.2026 को 03:00 PM बजे खुली निविदा के माध्यम से नीलाम किया जाना है।

उक्त नीलामी में "प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय डिण्डौरी" के नाम से देय राशि रूपये 9000/– का बैंक ड्राफ्ट अमानत राशि के रूप में जमा कर, भाग लिया जा सकता है। उपरोक्तानुसार वाहन की खुली निविदा के माध्यम से नीलामी हेतु निविदा शर्ते निम्नानुसार हैः–

: : निविदा की शर्ते : :

01. शासकीय वाहन कमांक एम0पी0 02 एचसी0 0016 होण्डा सिटी कार की न्यूनतम ऑफसेट वेल्यू राशि रूपये 1,80,000/– (अक्षरीः– एक लाख अस्सी हजार रूपये मात्र) (शासकीय बोली) नियत हैं।

02. उक्त अनुपयोगी/अपलिखित शासकीय वाहन की नीलामी में भाग लेने/बोली लगाने हेतु अमानत राशि रूपये में रूपये 9000/– (अक्षरीः– नौ हजार रूपये मात्र) का बैंक ड्राफ्ट "प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय डिण्डौरी" के नाम देय हो, सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर नीलामी, में भाग लेने/बोली लगाने की पात्रता होगी तथा निविदा जारी दिनांक से दिनांक 24.01.2026 की शाम 05 बजे तक बैंक ड्राफ्ट स्वीकार किये जायेगे। उक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त बैंक ड्राफ्ट/निविदा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

03. अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट नीलामी की समाप्ति पर, असफल बोली लगाने वाले व्यक्ति/संस्था को वापस लौटाया जावेगा तथा सफल बोली लगाने वाले व्यक्ति/संस्था को उनके द्वारा लगायी गयी बोली/स्वीकृत की

गयी पूरी राशि जमा करवाने के पश्चात् लौटाया जावेगा।

04. सक्षम अधिकारी को किसी भी बोली को बिना कारण बताये, पूर्ण रूप से स्वीकार करने/अस्वीकार करने/आंशिक रूप से स्वीकार करने/निरस्त करने तथा प्राप्त कम/अधिकतम बोली की राशि को स्वीकृत करने/अस्वीकृत करने का सम्पूर्ण अधिकार सर्वथा ''नीलाम समिति''कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी को प्राप्त होगा।

05. नीलामी के संबंध में बोली या विवाद के संबंध में सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम बोली लगाने वाले पर बंधनकारी होगा।

06. अधिकतम बोली की राशि की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित होने के पश्चात् अनुपयोगी शासकीय वाहन को क्रेता को प्रदान किया जावेगा।

07. अधिकतम बोलीकर्ता को स्वीकृति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् 07 दिवस के अन्दर बोली की सम्पूर्ण राशि बैंक ड्राफ्ट जो ''प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय डिण्डौरी'' के नाम देय हो, जमा करवाकर वाहन को स्वंय के व्यय पर उठाना अनिवार्य होगा अन्यथा अमानत राशि शासन के पक्ष में राजसात की जावेगी।

08. संबंधित वाहन भौतिक निरीक्षण हेतु कुटुम्ब न्यायालय परिसर, डिण्डौरी में उपलब्ध है इस हेतु नायब नाजिर से कार्यालयीन दिनांक/समय में सम्पर्क किया जा सकता है।

09. बोलीकर्ताओं द्वारा नीलामी में उपस्थित होकर वाहन को क्रय करने हेतु बोली लगाने की स्थिति में नीलामी संबंधी सम्पूर्ण शर्ते स्वीकार कर ली गयी है, ऐसा माना जावेगा।

10. अनुपयोगी शासकीय वाहन को क्रय करने के पश्चात् क्रेता को उक्त वाहन को स्वयं के व्यय पर यथास्थिति में कुटुम्ब न्यायालय परिसर डिण्डौरी से आधिपत्य में लेकर जाना होगा।

11. अनुपयोगी शासकीय वाहन विक्रय के पश्चात् कार्यालय द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करने पर उक्त शासकीय वाहन का नियमानुसार शासकीय पंजीयन विलोपित करने एवं क्रेता के नाम पंजीयन एवं बीमा कराये जाने की संपूर्ण जवाबदारी क्रेता की होगी।

12. वाहन क्रमांक, चैचिस नंबर, इंजन नंबर निविदाकार नीलामी स्थान पर ही मिलान कर लेवे। इस संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति क्रय संबंधी कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत मान्य नहीं की जावेगी।

13. उपरोक्त नियमों की शर्तो का शिथिलीकरण स्थापना पर गठित वाहन नीलामी समिति के पास सुरक्षित होगा।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
डिण्डौरी म0प्र0